



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-जशोक मार्ग, शशित भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या-526-अ0प्र0-07/पाकालि/25-06-अ0प्र0-07/24

दिनांक : 07/04/2025

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अवर अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) की सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 13.09.2024 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द किये गये प्रकरणों में से श्री श्री आनन्द कुमार (वरिओक्रो-2012/CEH/435), अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नगत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में “लघु दण्ड” प्रदान करते हुए समाप्त किये जाने के दृष्टिगत इनका मोहरबन्द लिफाफा दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक खोलकर, इन्हें अस्थायी / स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नवत तालिका के रूपमें 5 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद / SAP ID / वरिओक्रो सर्वश्री | वर्तमान तैनाती स्थान | आवंटित अभिज्ञान सं0 | प्रोन्नति पश्चात् तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम/इकाई |
|-------------|--|--------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | आनन्द कुमार/ राज कुमार/ हरदोई / 16-10-1989/11004524 /2012/CEH/435 | विन0निर्माण खण्ड-द्वितीय, लेसा लखनऊ। | 2024177 | पश्चिमांचल विविधनिलिंग |

2. परिषदादेश सं0-1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87, दिनांक 08.10.1997 के प्रस्तर-7(ग) में निहित प्राविधानानुसार श्री आनन्द कुमार (वरिओक्रो-2012/CEH/435), को उनसे चयनित आसन्न कनिष्ठ श्री राजेश कुमार (वरिओक्रो-2012/CEH/445), की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश सं0-2381-अ0प्र0-07, दिनांक 09.11.2024 के निर्गमन की तिथि अर्थात् दिनांक 09.11.2024 से प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते हैं।
3. उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
4. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
5. सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नत हुए अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के नियंत्रक अधिकारी, उन्हे अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद से कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि –
 - (क) अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
6. यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का0ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
7. कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2777-ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0-01/2023, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ताओं की Joining/Relieving ई0आर0पी0 प्रणाली पर ही किया जाना है।

8. वर्तमान चयन वर्ष में इस प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि तक किसी अवर अभियन्ता के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में वृहद दण्ड प्रदान किया गया है तो उस अवर अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
9. यह प्रोन्नति इस आधार पर दी जा रही है कि सम्बन्धित डिस्काम/इकाई द्वारा उपरोक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जॉच आदि लम्बित नहीं सूचित है अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अवर अभियन्ता की प्रोन्नति निरस्त मानी जाएगी व अलग से आदेश किया जायेगा।
10. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उक्त अभियन्ता यथा शीघ्र अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
11. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन प्रस्तुत कर चुका हो।

अध्यक्ष

संख्या :-526-अ0प्र0-07/पाकालि/2025/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/मेरठ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
5. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
6. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वैब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (वैतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
11. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि प्रोन्नत हुए अभियन्ता को अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं तदक्रम में उनकी सेवा पुस्तिका प्राथमिकता से पूर्ण कराकर लेखाधिकारी (वैतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टाफिकेट) उप सचिव (03/04), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (ई0मेल—ds.0304@uppcl.org/j.s.02@uppcl.org) एवं लेखाधिकारी (वैतन एवं लेखा), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (ई0मेल—ao.vetanlekha@uppcl.org) को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(हिमांशु वार्ष्य)

उप सचिव (07)